

पैन कार्ड में गलत है जन्मतथि? ऑनलाइन घर बैठे ऐसे करें सुधार

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> पैन कार्ड में जन्मतथि गलत है? ये आसान तरीका अपनाकर घर बैठे करें सुधार...
- >> पैन कार्ड में गलत जन्मतथि इसके कारण होने वाली संभावित परेशानियां...
- >> जन्मतथि में सुधार के लिए आवश्यक और मान्य दस्तावेजों की सूची...
- >> NSDL (Protean) पोर्टल पर ऑनलाइन करेक्शन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया...
- >> आधार ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए बना हार्ड कॉपी भेजे वेरिफिकेशन...
- >> पैन अपडेट के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क और प्रोसेसिंग का समय...
- >> आवेदन के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर से स्टेटस ट्रैक करने की विधि...
- >> जनता के सवाल (FAQs)...

पैन कार्ड में जन्मतथि गलत है? ये आसान तरीका अपनाकर घर बैठे

आज के डिजिटल और वित्तीय युग में पैन कार्ड (PAN Card) एक बेहद महत्वपूर्ण और अनिवार्य सरकारी दस्तावेज बन चुका है। बैंक में एक साधारण बचत खाता खोलवाने से लेकर, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखल करने, बड़े वित्तीय लेन-देन करने और विभिन्न नविन योजनाओं में हिस्सा लेने तक, हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। चूंकि यह आपके वित्तीय इतिहास और पहचान का मुख्य आधार है, इसलिए इसमें दर्ज हर एक जानकारी का सटीक होना आवश्यक है।

कई बार आवेदन करते समय हुई मानवीय भूल या पुराने दस्तावेजों की त्रुटि के कारण पैन कार्ड पर नाम, पति का नाम या जन्मतथि (DOB) गलत प्रती हो जाती है। अगर आपके पैन कार्ड में जन्मतथि गलत है, तो यह भविष्य में कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में बड़ी रुकावट बन सकता है। खासकर तब, जब आप किसी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ पैन कार्ड को लॉक कर रहे हों और दोनों की जानकारी आपस में मेल न खाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस समस्या का समाधान बहुत आसान हो गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने पैन कार्ड में सुधार (PAN Correction) करवा सकते हैं।

पैन कार्ड में गलत जन्मतथि: इसके कारण होने वाली संभावित परेशानियां

पैन कार्ड में जन्मतथि का गलत होना केवल एक टाइपिंग मिसटैक नहीं है, बल्कि यह आपके वित्तीय जीवन को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। जब आपकी जन्मतथि आपके अन्य मुख्य पहचान पत्रों से मेल नहीं खाती, तो संस्थानों द्वारा आपकी पहचान को संदिग्ध माना जा सकता है। इसके कारण नमिन्नलखित परेशानियां सामने आ सकती हैं:

- >> बैंक खाता खोलने में बाधा: वित्तीय नियम कड़े होने के कारण, बैंक खाता खोलते समय KYC (Know Your Customer)

प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों का मिलान किया जाता है। जन्मतथि अलग होने पर बैंक आपका आवेदन रद्द कर सकते हैं।

>> इनकम टैक्स रटर्न (ITR) में समस्या: ITR दाखल करते समय करदाता की सटीक पहचान अनिवार्य है। गलत जानकारी होने पर टैक्स रटर्न प्रोसेस होने में दक्कत आती है या रफिंड अटक सकता है।

>> लोन या क्रेडिट कार्ड मलिन में रुकावट: कोई भी वित्तीय संस्थान लोन या क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले सबिलि (CIBIL) स्कोर और पैन डिटिल्स चेक करता है। गलतियों के कारण आपका आवेदन सीधे तौर पर खारजि किया जा सकता है।

>> दस्तावेजों की लकिगि: आज के समय में पैन कार्ड को कई अन्य दस्तावेजों के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। जन्मतथि में भन्नता होने पर लकिगि प्रक्रिया वफिल हो जाती है।

सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी दस्तावेजों का सही होना जरूरी है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं: सरकार की 5 धांसू योजनाएं, सीधे खाते में पैसा और घर! जानें पूरी डटिल।

जन्मतथि में सुधार के लिए आवश्यक और मान्य दस्तावेजों की सूची

ऑनलाइन माध्यम से पैन कार्ड में जन्मतथि सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम एक वैध जन्म प्रमाण प्रस्तुत करना है। आप बनिा किसी पुख्ता सबूत के अपनी जन्मतथि नहीं बदलवा सकते। आवेदन करते समय आपको ऐसा दस्तावेज अपलोड करना होगा, जिसमें आपकी वही जन्मतथि (DOB) दर्ज हो, जिस आप अपने पैन कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं। योजनासेवा (YojanaSewa) आपको सलाह देता है कि आवेदन से पहले इन दस्तावेजों को स्कैन करके रख लें। मान्य दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:

>> जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): नगर नगिम या संबंधति सरकारी वभिाग द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र सबसे सटीक और प्राथमकि दस्तावेज माना जाता है।

>> आधार कार्ड (Aadhaar Card): वर्तमान में आधार कार्ड लगभग सभी नागरकों के पास उपलब्ध है और यह जन्मतथि सुधार के लिए एक प्रमुख और सर्वमान्य दस्तावेज है।

>> मैट्रिकुलेशन सर्टफिकिट (10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र): किसी भी मान्यता प्राप्त शकिषा बोर्ड द्वारा जारी की गई 10वीं कक्षा की मार्कशीट या सर्टफिकिट, जिसमें जन्मतथि स्पष्ट रूप से लखी हो।

>> पासपोर्ट (Passport): वैध पासपोर्ट को पहचान और जन्मतथि दोनों के लिए एक मजबूत प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

>> ड्राइवगि लाइसेंस (Driving License): संबंधति राज्य के परविहन वभिाग द्वारा जारी किया गया वैध ड्राइवगि लाइसेंस।

दस्तावेजों में सुधार की आवश्यकता केवल पैन कार्ड तक सीमति नहीं है। अन्य दस्तावेजों में सुधार की प्रक्रिया जानने के लिए हमारी गाइडराशन कार्ड में गलत नाम, पता और जन्मतथि ऑनलाइन कैसे बदलेंको भी देख सकते हैं।

NSDL (Protean) पोर्टल पर ऑनलाइन करेक्शन की स्टेप-बाय-स्टेप प

गलत जन्मतथि को सुधारने के लिए आपको पैन से जुड़ी अधिकृत ऑनलाइन सेवा वेबसाइट (जैसे NSDL Protean) पर जाना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा सकती है। नीचे दी गई आसान प्रक्रिया का पालन करें:

>> अधिकृत वेबसाइट पर जाएं:सबसे पहले पैन कार्ड की आधिकारिक सेवाएं प्रदान करने वाली ऑनलाइन वेबसाइट पर वजिटि करें।

>> करेक्शन वकिल्प का चुनाव:होमपेज पर सेवाओं की सूची में से PAN Correction Changes (पैन कार्ड में सुधार बदलाव) के वकिल्प का चयन करें।

>> आवेदन फॉर्म भरें:नए खुले हुए फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। यहां आपको अपना 10 अंकों का पैन नंबर बल्किल सही-सही भरना होगा।

>> सही जन्मतथि दर्ज करें:फॉर्म में जन्मतथि वाले कॉलम में अपनी नई और सही जन्मतथि (जो आपके प्रमाण पत्र में है) दर्ज करें।

>> चेकबॉक्स को टकि करें:यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जसि जानकारी (जन्मतथि) में आप बदलाव करना चाहते हैं, उसके ठीक सामने दिए गए वकिल्प (चेकबॉक्स) को चुनना न भूलें। अगर आप इसे टकि नहीं करेंगे, तो सस्टिम बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा।

>> दस्तावेज अपलोड करें:जन्मतथि के प्रमाण के तौर पर आपने जो वैध दस्तावेज चुना है (जैसे आधार, 10वीं की मार्कशीट), उसकी साफ और स्पष्ट स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करें। अस्पष्ट या धुंधले दस्तावेज के कारण आवेदन रद्द हो सकता है।

आधार ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए बनि हार्ड कॉपी भेजे वेरफिकिं

पैन कार्ड सुधार की ऑनलाइन प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कयिह आपको कागजी कार्रवाई से मुक्ति दिलाता है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और जन्मतथि के प्रमाण के रूप में अपने आधार कार्ड या अन्य डिजिटल रूप से सत्यापित दस्तावेजों का उपयोग करते हैं, तो पूरी प्रक्रिया ई-केवाईसी (e-KYC) और ई-साइन (e-Sign) के माध्यम से पूरी हो जाती है।

ऑनलाइन पोर्टल पर मांगे गए सही दस्तावेजों को सफलतापूर्वक अपलोड कर देने से, आपको फॉर्म की कोई भी हार्ड कॉपी (प्रिंट आउट) संबंधित विभाग के कार्यालय में डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। यह घर बैठे काम पूरा करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका है, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होती है। दस्तावेज अपलोड करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप वही जन्मतथि फॉर्म में भर रहे हैं, जो आपके द्वारा अपलोड किए जा रहे दस्तावेज पर छपी है।

पैन अपडेट के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क और प्रोसेसिंग का समय

पैन कार्ड में कोई भी बदलाव या सुधार मुफ्त नहीं होता है इसके लिए सरकार द्वारा एक निर्धारित शुल्क तय किया गया है। आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में आपको इस निर्धारित सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई (UPI) के माध्यम से सुरक्षित रूप से कर सकते हैं।

जहां तक प्रोसेसिंग समय की बात है, आवेदन जमा करने और आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का विभाग द्वारा सत्यापन (Verification) पूरा होने के बाद ही पैन रिकॉर्ड में नई जन्मतथि अपडेट की जाती है। इस प्रक्रिया में लगने वाला समय मुख्य रूप से आपके आवेदन की सटीकता और दस्तावेज सत्यापन में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत है या अपलोड किया गया दस्तावेज अस्पष्ट है, तो सत्यापन में देरी हो सकती है या आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। सब कुछ सही होने पर कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाता है और नया पैन कार्ड जारी कर दिया जाता है।

आवेदन के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर से स्टेटस ट्रैक करने की विधि

एक बार जब आप सफलतापूर्वक अपना आवेदन सबमिट कर देते हैं और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर देते हैं, तो सिस्टम द्वारा तुरंत एक पावती रसीद जनरेट की जाती है। इस रसीद पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) छपा होता है। यह नंबर आपके आवेदन की पहचान है।

योजनासेवा (YojanaSewa) की टीम आपको यह एक्नॉलेजमेंट नंबर संभालकर रखने की सलाह देती है। इस नंबर की मदद से आप घर बैठे आसानी से अपने आवेदन का स्टेटस चेक (Track Status) कर सकते हैं। पोर्टल के Track PAN Status सेक्शन में जाकर यह नंबर दर्ज करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन अभी किस प्रक्रिया में है, दस्तावेज सत्यापित हुए या नहीं, और नया पैन कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। नया पैन कार्ड बन जाने के बाद आप इसके ऑनलाइन रिकॉर्ड की भी जांच कर सकते हैं। (सरकारी योजनाओं के बारे में और जानने के लिए पढ़ें: पीएम मोदी जन्मदिन विशेष: घर-घर पहुंची ये 5 बड़ी सरकारी योजनाएं)

जनता के सवाल (FAQs)

जन्मतथि में सुधार के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10वीं कक्षा की मार्कशीट (मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट), पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।

हाँ, आप अधिकृत पैन सेवा पोर्टल (जैसे NSDL Protean) पर जाकर PAN Correction का विकल्प चुनकर घर बैठे ऑनलाइन जन्मतथि बदल सकते हैं।

आवेदन फॉर्म में नई जन्मतथि भरने के साथ-साथ, उस जानकारी के ठीक सामने दिए गए चेकबॉक्स को टिक करना सबसे जरूरी है। बनिा इसे टिक किए बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

फीस जमा करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) मिलता है। इस नंबर को अधिकृत पोर्टल के स्टेटस ट्रैकिंग सेक्शन में डालकर आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।